भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 311
जिसका उत्तर बुधवार, 20 जुलाई, 2016 को दिया जाना है

पुराने कारखानों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार

311. श्री परिमल नथवानी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पांच वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े पुराने कारखानों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार करने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): उद्योग राज्य का विषय है, अतः पुराने कारखानों का पुनरुद्धार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की प्राथमिकता है, जहां ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थित अथवा अधीन हैं। भारी उद्योग विभाग का सरोकार इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से है। इसमें उनके पुनरुद्धार/बंद किए जाने संबंधी निर्णय भी शामिल हैं। सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों जिनकी पेपर मिलें हैं अर्थात् नेपा लिमिटेड और नगालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) के लिए पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन क्रमशः सितम्बर, 2012 और जून, 2013 में किया है। पुनरुद्धार योजना के अनुमोदन के पश्चात्, सरकार ने अब तक नेपा लिमिटेड को ₹234.18 करोड़ और एनपीपीसी लिमिटेड को ₹100 करोड़ इनके पुनरुद्धार के लिए जारी किए हैं।

****